मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, टोंक

पीठासीन अधिकारी : **अटल सिंह चॉपावत**

क्लेम याचिका संख्या : **201/2023**

1. हंसराज गुर्जर पुत्र किशन लाल गुर्जर, आयु 47 वर्ष, निवासी शिवदासपुरा, पोस्ट गोठड़ा, पुलिस थाना उनियारा, जिला टोंक, (राजस्थान)।

-----प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्दा रैगर पुत्र मंगल चन्द रैगर, निवासी पेचपीलिया, पुलिस थाना मानटाउन, जिला-सवाईमाधोपुर, (राजस्थान)।
(वाहन चालक व स्वामी, वाहन संख्या आरजे-25-सी.बी.-1324)
2. एचडीएफसी इरगो जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय जीटी गलेरिया, द्वितीय तल, फेब इंडिया के ऊपर, अहिंसा सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर, (राजस्थान)।
(बीमा कम्पनी, वाहन संख्या आरजे-25-सी.बी.-1324)

-----अप्रार्थीगण

क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166 सपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम

उपस्थित-

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हनुमान साहू, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश वर्मा, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 30-07-2026

1. प्रार्थी हंसराज की ओर से क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166 सपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम में दिनांक 15-02-2023 को पेश की गई है, जिसका निस्तारण इस निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं, कि दिनांक 10-01-2023 को प्रार्थी हंसराज वाहन मोटरसाईकिल से ककोड़ से स्वयं के गांव जा रहा था, समय रात्रि के लगभग 08.30-09.00 बजे, श्योराजपुरा गांव से पहले, पुलिया के पास पहुंचा और वाहन मोटरसाईकिल साईड में खडी कर बातें कर रहा था, कि ककोड़ की तरफ से अप्रार्थी संख्या 1 ने वाहन हुण्डई वेन्यु कार संख्या आरजे-25-सीबी-1324 को तेजगति, गफलत व लापरवाही से संचालित करते हुए प्रार्थी हंसराज के जोरदार टक्कर मार दी। जिससे आवेदक गंभीर रूप से

घायल हो गया, जिसे दुर्घटना के बाद ईलाज हेतु सीएचसी, उनियारा में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत गंभीर होने पर टोंक सआदत अस्पताल व बाद में जयपुर रेफर कर अपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के संबंध में एफआईआर संख्या 21/2023 पुलिस थाना उनियारा, जिला-टोंक में पंजीबद्ध करवाई गई। प्रार्थी घटना से पूर्व कृषि कार्य, दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन के कार्य से 30 हजार रूपये की आय अर्जित करता था। प्रार्थी के उक्त दुर्घटना में गले की हड्डी, बांया हाथ फ्रेक्चर हो गया, कमर, सीने व पैरों सहित शरीर के अन्य अंगों पर साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई है। प्रार्थी को मानसिक व शारीरिक पीड़ा हुई है। प्रार्थी निरंतर बेड रेस्ट पर है तथा उसकी कार्यक्षमता में 70 प्रतिशत की कमी आना संभावित है। उक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 1 वाहन चालक के द्वारा वाहन को, स्वयं के हितार्थ व लाभार्थ होते हुए वाहन उपेक्षा से चलाने के कारण घटित हुई है। वाहन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बीमित था। इस कारण क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व अप्रार्थीगण का है। अंत में याचिका में वर्णित क्षतिपूर्ति राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाई जाने की प्रार्थना की गई।

3. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब में संक्षेप में कथन किया गया है, कि प्रार्थना पत्र के तथ्य गलत एवं अस्वीकार हैं। अप्रार्थी सं. 1 से कोई घटना कारित नहीं हुई है गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर मात्र क्लेम लेने के आशय से झूठी कहानी बनाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रार्थी की स्वयं की लापरवाही से मोटरसाईकिल से स्लिप होकर गिरने से चोटें आई है। उक्त दुर्घटना दिनांक 10-01-2023 की है, जिसके संबंध में 06 दिन बाद एफआईआर दिनांक 15-01-2023 को देरी से दर्ज कराई गई है। उक्त दुर्घटना प्रार्थी द्वारा विपरीत दिशा से साईड से निकलकर मोटरसाईकिल को तेजी से संचालित करते हुए रोड़ पर गिरकर हुई है। उक्त वाहन अप्रार्थी सं. 2 बीमा कंपनी के पास बीमित है, इसलिए दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति अदायगी के लिए अप्रार्थी सं. 2 बीमा कंपनी जिम्मेदार है। अंत में क्लेम याचिका खारिज करने की प्रार्थना की गई।

4. अप्रार्थी संख्या-2 बीमा कम्पनी की ओर से संक्षेप में याचिका के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया है कि वक्त घटना अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी के पास वाहन चलाने बाबत् वैद्य व प्रभावी लाईसेंस नहीं था। उक्त दुर्घटना दिनांक 10-01-2023 की है, जिसके संबंध में 04 दिन बाद योजनाबद्ध तरीके से क्लेम लेने के उद्देश्य से एफआईआर दिनांक 15-01-2023 को देरी से दर्ज कराई गई है। प्रार्थी द्वारा आय, आयु व व्यवसाय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अंत में क्लेम याचिका अस्वीकार कर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किए गए-

1. क्या दिनांक 10-01-2023 को समय रात्रि लगभग 08.30-09.00 बजे, श्योराजपुरा गांव के पुलिया के पास, अप्रार्थी संख्या-1 ने वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे-25-सीबी-1324 को स्वयं के हितार्थ एवं लाभार्थ, उक्त वाहन अप्रार्थी संख्या 2 बीमा कम्पनी के पास बीमित होते हुए काफी तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर प्रार्थी के जोरदार टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थी हंसराज के शरीर पर साधारण व गंभीर कारित हुई?

----प्रार्थी

2. क्या प्रार्थी क्लेम याचिका में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथक-पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी हैं?

-----प्रार्थी

3. क्या अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित प्रारम्भिक/विशेष आपत्तियों के आधार पर अप्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं?

----अप्रार्थीगण

4. अनुतोष?

6. याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य में प्रार्थी हंसराज को ए.डब्ल्यु.-1 व गवाह बनवारी लाल को ए.डब्ल्यु.-2 के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 31 इत्यादि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। अप्रार्थीगण के द्वारा साक्ष्य में गवाह मनु पंचोली को एन.ए.डब्ल्यु.-1 के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श एन.ए.1 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

7. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सुसंगत विधि का विवेचन किया गया।

8. प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान कथन किया गया है, कि दुर्घटना वाहन सं. आरजे-25-सीबी-1324 के द्वारा पीछे से टक्कर मारे जाने के कारण हुई है। प्रार्थी अपनी साईड में खड़े होकर बातें कर रहा था, दुर्घटना से प्रार्थी के शरीर पर 18 प्रतिशत स्थाई

निःशक्तता कारित हुई है, जिससे प्रार्थी पूर्व के भांति दूग्ध उत्पादन एवं कृषि कार्य आदि करने में असमर्थ हो गया है। ईलाज में भी काफी खर्चा हुआ है। अंत में याचिका स्वीकार की जाकर उचित मुआवजा राशि दिलवायी जाने की प्रार्थना की गई।

9. अप्रार्थी सं. 01 की ओर से कथन किया गया है, कि वाहन को गलत रूप से संलिप्त किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 का वाहन अपनी सही दिशा में चल रहा था, प्रार्थी स्वयं विपरीत दिशा से साईड में निकलकर तेजी से आया और रोड़ पर गिरकर चोटग्रस्त हुआ है, जिसमें अप्रार्थी सं. 1 की कोई लापरवाही नहीं रही है। अंत में याचिका खारिज करने का निवेदन किया गया।

10. अप्रार्थी सं. 2 बीमा कम्पनी की ओर से लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया गया है, कि प्रश्नगत वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। केवल क्लेम प्राप्ति के लिए पुलिस से मिलीभगत करके करीब 05 दिन बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रार्थी ने सर्वप्रथम उनियारा अस्पताल में ईलाज होना बताया है, परन्तु उनियारा अस्पताल का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा पेश अपेक्स अस्पताल के डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श एन.ए.1 में फॉल फ्रॉम बाईक लिखा है, जिससे स्पष्ट है, कि प्रार्थी बाईक से गिरकर चोटग्रस्त हुआ है, दुर्घटना के कारण कोई चोटें नहीं आई। प्रार्थी ने अपनी पी.डी. उसके बेटे द्वारा बनवाकर लाना कथन किया है, इस कारण पी.डी. भी संदेहास्पद है। सन् 2026 के अनन्या अस्पताल के बिल पेश किए हैं, परन्तु उनके संबंध में कोई ईलाज की पर्ची पेश नहीं की है। अंत में याचिका खारिज करने का निवेदन किया गया।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विरचित विवाद्यकों पर अधिकरण का निष्कर्ष इस प्रकार से हैः-

12. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत- **एआईआर 2011 (सुप्रीम कोर्ट) 1504, परमेश्वरी बनाम अमीरचंद** के मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा-166 एम.वी. एक्ट के मामलों में फौजदारी मामलों की तरह युक्तियुक्त संदेह से परे मामला साबित नहीं करना होता है, उक्त विधिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हस्तगत मामले पर विचार किया गया।

13. **<u>विवाद्यक बिन्दु संख्या- 1 व 3</u>**

14. विवाद्यक संख्या-1 को साबित करने का भार प्रार्थी पर एवं विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर रहा है, प्रार्थी की ओर से आई हुई साक्ष्य का

अवलोकन करें, तो प्रार्थी ए.डब्ल्यू. 1 हंसराज ने कथन किया है, कि दिनांक 10-01-2023 को वह मोटरसाईकिल से ककोड़ से अपने गांव जा रहा था, समय साढ़े आठ-नौ बजे शिवराजपुरा पुलिया के पास पहुंचा, तो उसके पास फोन आया, जिस पर वह मोटरसाईकिल साईड में लेकर फोन पर बातें कर रहा था, तभी वाहन कार सं. आरजे-25-सीबी-1324 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया, जिसने उसके पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह बेहोश हो गया। मौके से उसे कौन लेकर गया, उसे पता नहीं। उसे उनियारा अस्पताल में भर्ती करवाया, फिर टोंक व टोंक से जयपुर रेफर कर दिया। उसके बाएं में चोट आने से पूरी तरह टूट गया। घटना की रिपोर्ट बद्रीलाल ने दर्ज करवाई थी, वर्तमान में उसका हाथ खराब होने से गाय, भैंस का दूध नहीं निकाल पाता। एसएमएस व अपेक्स अस्पताल में भर्ती रहना व एक्सीडेंट में उसकी रीड़ की हड्डी व दांए कंधे में फ्रैक्चर आना कहता है। दुर्घटना के संबंध में प्रदर्श 1 लगायत 31 पेश करना कथन किया है तथा दुर्घटना से पूर्व 30 हजार प्रतिमाह कमाना भी कहता है। जिरह में स्वीकार किया है, कि उसके पास मोटरसाईकिल चलाने का लाईसेंस है, जो पत्रावली में पेश नहीं किया है। स्वयं की जन्मतिथि 05-06-1975 होना स्वीकार किया है। दुर्घटनास्थल हाईवे रोड़ होना और मोटरसाईकिल पर अकेला होना कहता है। वक्त घटना मौके पर कई वाहनों का आना-जाना स्वीकार किया है। जिस वाहन से दुर्घटना हुई वह सही दिशा में पीछे से आना स्वीकार किया है। दुर्घटना दिनांक को उनियारा अस्पताल में दिखाने की कोई पर्ची पेश नहीं करना स्वीकार किया है तथा उनियारा से टोंक रेफर करने की कोई पर्ची भी पेश नहीं करना स्वीकार किया है। बनवारी को स्वयं के गांव का होना बताया है। बनवारी और उसके परिवारजनों द्वारा दुर्घटना की दिनांक को रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना स्वीकार किया है। दिनांक 10-01-2023 का रोजनामचा भी पेश नहीं करना स्वीकार किया है। अपेक्स अस्पताल के डिस्चार्ज टिकट की फोटोप्रति में मोटरसाईकिल से गिरने के कारण चोटें आना सही दर्ज होना कहता है। एसएमएस अस्पताल व अपेक्स अस्पताल की पर्चियां पेश नहीं करके, केवल बिल पेश करना स्वीकार किया है। प्रदर्श 20 उसका बच्चा बनवाकर लाया था। कब व कहां से बनवाया यह पता नहीं होना कहता है।

गवाह ए.डब्ल्यू. 1 हेमराज को आदेशिका दिनांक 04-10-2025 के अनुसरण में पुनःपरीक्षित करवाया गया। जिसमें प्रार्थी ने अपने ईलाज के बिल व हाथ के ऑपरेशन के बिल प्रदर्श 21 लगायत 99 को प्रदर्शित करवाया हैं। जिरह में कथन किया है, कि प्रदर्श 21 में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह स्वीकार

किया है, कि मेडीकल बिल जो पेश किए हैं, उनके संबंध में भर्ती व ईलाज की पर्ची पेश नहीं की है। आयुष्मान अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट 07 माह बाद का होना और उस पर आर.टी.ए. का अंकन नहीं होना स्वीकार किया है। यह भी स्वीकार किया है, कि अपेक्स अस्पताल के बाद किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं रहा। दुर्घटना के तीन साल बाद अनन्या अस्पताल के बिल पेश करना तथा अनन्या अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट पेश नहीं करना स्वीकार किया है। अनन्या अस्पताल के बिल में एडमिशन की दिनांक 11-01-2026 व डिस्चार्ज की दिनांक 16-01-2026 होना स्वीकार किया है। अनन्या अस्पताल के जनवरी, 2026 के बिल पेश करना व इन बिलों के संबंध में पर्ची पेश नहीं करना स्वीकार किया है। इस प्रकार ए.डब्ल्यू. 1 हेमराज ने दुर्घटना कार सं. आरजे-25-सीबी-1324 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से उसकी खड़ी मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारने से होना बताया है।

15. प्रार्थी की ओर से ए.डब्ल्यू. 2 बनवारी लाल ने कथन किया है, कि दिनांक 10-01-2023 को वह समय साढ़े आठ-नौ बजे, शिवराजपुरा बस स्टेंड पर बैठा था, तभी हंसराज जो कि शिवदासपुरा का है, ककोड़ से मोटरसाईकिल लेकर उसके पास दुकान पर रूककर बात कर रहा था, तभी ककोड़ की तरफ से सफेद रंग की कार नंबर आरजे-25-सीबी-1324 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर हंसराज की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे हंसराज घायल हो गया, जिसे एंबुलेंस मंगवाकर टोंक लेकर आए व ज्यादा तबीयत खराब होने पर जयपुर रेफर कर दिया। दुर्घटना वाहन सं. आरजे-25-सीबी-1324 की लापरवाही के कारण घटित हुई थी। जिरह में कथन किया, कि वह हंसराज को 10 साल से जानता है, गांव पड़ोसी है। दुर्घटनास्थल रात का समय था, रोड़ लाईटें जली हुई थी। पुलिस को उसने सूचना दी थी। वह हंसराज को एंबुलेंस में टोंक अस्पताल लेकर गया था, वहां उसके घरवाले आ गए थे। घटना की रिपोर्ट पुलिस में नहीं देना स्वीकार किया है। प्रदर्श 4 नक्शे मौके को समझने से इंकार किया है। दुर्घटना कारित करने वाली कार टोंक की तरफ से आ रही थी, यह स्वीकार किया है। कार के आगे-पीछे, दांए-बांए क्या लिखा था, यह पता नहीं होना और गाड़ी के केवल नंबर देखना कहता है। इस प्रकार चश्मदीद साक्षी ए.डब्ल्यू. 2 बनवारी ने दुर्घटना वाहन सं. आरजे-25-सीबी-1324 के चालक की लापरवाही से होने बाबत् साक्ष्य दी है तथा गवाह जिरह में अखंडनीय रहा है।

16. अप्रार्थी की ओर से एन.ए.डब्ल्यू. 1 मनु पंचोली ने कथन किया है, कि वह एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का अनुसंधानकर्ता है। कंपनी ने उसे फौजदारी

दस्तावेज निकलवाने व दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त किया था। अन्वेषण के दौरान चोटग्रस्त व्यक्ति से मिला, तो उसने बयान देने से मना कर दिया। अपेक्स अस्पताल का दिनांक 11-01-2023 का भर्ती डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श एन.ए.1 पर हंसराज के हस्ताक्षर हैं, जिस पर फॉल फ्रॉम बाईक लिखा हुआ है, जिससे यह साबित होता है, कि आहत के अन्य वाहन से चोटें नहीं आई, बल्कि स्वयं मोटरसाईकिल से गिरा था। जिरह में यह स्वीकार किया है, कि पुलिस ने बाद अनुसंधान बीमित वाहन के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। धारा-133 एमवी एक्ट नोटिस के जवाब में मालिक ने दुर्घटना होना स्वीकार किया है। धारा-133 एमवी एक्ट नोटिस के जवाब में वाहन स्वामी ने वाहन का चालक स्वयं होना स्वीकार किया है। दुर्घटना दिनांक का रोजनामचा पेश नहीं करना भी स्वीकार किया है। इस प्रकार एन.ए.डब्ल्यू. 1 मनु पंचोली ने दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी द्वारा धारा-133 एमवी एक्ट के नोटिस में वाहन से दुर्घटना होना और वक्त दुर्घटना वाहन अप्रार्थी सं. 1 द्वारा चलाया जाना स्वीकार करना कथन किया है, साथ ही पुलिस द्वारा आरोप पत्र अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध पेश करना भी स्वीकार किया है। जहां तक प्रदर्श एन.ए.1 अपेक्स अस्पताल के भर्ती टिकट पर फॉल फ्रॉम बाईक लिखा होने का प्रश्न है? प्रार्थी की ओर से अपेक्स अस्पताल से पूर्व टोंक अस्पताल की ओ.पी.डी. पंजीयन पर्ची दिनांक 10-01-2023 की फोटोप्रति पेश की गई है, जिसमें आर.टी.ए. का स्पष्ट अंकन किया गया है। ऐसी दशा में अपेक्स अस्पताल के डिस्चार्ज टिकट पर फॉल फ्रॉम बाईक लिखा होने मात्र से चश्मदीद साक्षी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

17. विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी की मुख्य आपत्ति रही है, कि रिपोर्ट 06 दिन बाद विलंब से पेश की गई है। इस संदर्भ में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 3 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है, कि देरी का कारण ईलाज में व्यस्त होना रहा है, जो स्वाभाविक है, क्योंकि दुर्घटना की दशा में प्राथमिक रूप से आहत के ईलाज करवाए जाने को प्राथमिकता दी जाती है। जहां तक प्रार्थी के ईलाज का प्रथम अस्पताल कौनसा था? इस संबंध में भिन्नता गवाहों की साक्ष्य में होना विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी ने जाहिर किया है। इस बिन्दू पर विचार करें, तो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श 3 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि तहरीरी रिपोर्ट में आहत को एंबुलेंस से टोंक ले जाना अंकित किया गया है। चश्मदीद साक्षी ए.डब्ल्यू. 2 बनवारी लाल ने भी दुर्घटना के तुरन्त बाद एंबुलेंस मंगवाकर टोंक अस्पताल लेकर जाना कथन किया है। ए.डब्ल्यू. 1 हंसराज ने पहले

उनियारा अस्पताल लेकर जाना बताया है, परन्तु ए.डब्ल्यू. 1 हंसराज ने यह भी स्पष्ट किया है, कि वह मौके पर ही बेहोश हो गया था। अतः उसे यह जानकारी नहीं रही होगी, कि उसे सर्वप्रथम किस अस्पताल में लेकर जाया गया। ऐसी दशा में हमारी विनम्र राय में गवाहों की साक्ष्य में प्रथम अस्पताल कौनसा था, इस संबंध में जो विरोधाभास आया है, वह तात्विक नहीं है।

18. प्रार्थी की ओर से आरोप पत्र प्रदर्श 2 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध ही उपेक्षा एवं लापरवाही से वाहन चलाने के संबंध में आपराधिक कार्यवाही लंबित है। प्रदर्श 4 नक्शे मौके के अवलोकन से भी स्पष्ट है, कि प्रश्नगत वाहन द्वारा मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारी गई। प्रदर्श 21 फोटोग्राफ से भी स्पष्ट है, कि प्रश्नगत वाहन द्वारा मोटरसाईकिल के पीछे से टक्कर मारने से प्रश्नगत वाहन एवं मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त हुई है। प्रदर्श 12 फर्द जब्ती कार एवं प्रदर्श 14 फर्द सूरतेहाल मोटरसाईकिल से भी यह स्पष्ट है, कि कार द्वारा पीछे से टक्कर मारी गई इस कारण मोटरसाईकिल पीछे से टूटी हुई थी, पीछे की रिम मुड़ी हुई थी, सीट मुड़ी हुई है, डिक्की टूटी हुई थी। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भी यह स्पष्ट है, कि दुर्घटना प्रश्नगत वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मारने से हुई है। अप्रार्थी सं. 1 वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का स्वामी होना, प्रदर्श 6 आर.सी. से स्पष्ट है। प्रदर्श 5 अनुज्ञा पत्र से स्पष्ट है, कि वक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं. 1 के पास वाहन चलाने का वैद्य एवं प्रभावी लाईसेंस था। प्रदर्श 18 बीमा प्रमाण पत्र से स्पष्ट है, कि वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी सं. 2 बीमा कंपनी के यहां बीमित था। अप्रार्थी सं. 1 घटना का सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था, वह साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी दशा में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अखंडनीय रही है। अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा लिखित बहस के वर्णित सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रक्रम पर चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि वर्तमान प्रक्रम में प्रार्थी द्वारा एफआईआर दर्ज करने में हुए विलंब को स्पष्ट किया गया है तथा ए.डब्ल्यू. 2 बनवारी लाल चश्मदीद साक्षी को भी परीक्षित करवाया गया है, जिसकी साक्ष्य जिरह में अखंडनीय रही है।

19. इस प्रकार प्रार्थी द्वारा स्पष्ट व ठोस प्रलेखिय साक्ष्य से दिनांक 10-01-2023 को समय शाम लगभग 08.30-09.00 बजे, श्योराजपुरा गांव के पुलिया के पास, अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा वाहन मोटरसाईकिल संख्या आरजे-25-सीबी-1324 को स्वयं के हितार्थ एवं

लाभार्थ, उक्त वाहन अप्रार्थी संख्या 2 बीमा कम्पनी के पास बीमित होते हुए काफी तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर प्रार्थी के जोरदार टक्कर मारना, जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थी हंसराज के शरीर पर साधारण व गंभीर उपहति कारित होना साबित किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक सं. 1 प्रार्थी के पक्ष में व विवाद्यक सं. 3 अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

20. **<u>विवाद्यक बिन्दु संख्या- 2</u>**

21. विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर रहा है। सर्वप्रथम आहत की आयु के संबंध में विचार करें, तो प्रार्थी ने याचिका में अपनी उम्र वक्त घटना 47 वर्ष होना बताया है। गवाह के बयान घटना के 02 साल बाद हुए है, उस वक्त प्रार्थी हंसराज ने उम्र 49 वर्ष होना बताया है, साथ ही जिरह में अपनी जन्मतिथि 05-06-1975 होना भी स्वीकार किया है। प्रदर्श 16 चोट प्रतिवेदन में भी प्रार्थी की आयु 47 वर्ष ही दर्शायी गई है। प्रार्थी के द्वारा अपनी जन्मतिथि 05-06-1975 होना स्वीकार किया है, इसके अनुसार भी प्रार्थी की आयु वक्त घटना 47 वर्ष 07 माह होती है। ऐसी दशा में वक्त घटना प्रार्थी की आयु 47 वर्ष होना अवधारित किया जाता है।

22. प्रार्थी हंसराज ने दुर्घटना में आई चोटों के संबंध में टक्कर के कारण दांए कंधे पर फ्रेक्चर होना, रीढ़ की हड्डी में फ्रेक्चर होना कथन किया है। दुर्घटना के पश्चात् प्रदर्श एन.ए.1 के अनुसार प्रार्थी दिनांक 11-01-2023 से दिनांक 17-01-2023 तक अपेक्स अस्पताल में भर्ती रहा है। उसके बाद दुर्घटना में आई चोटों के कारण प्रार्थी को हर्निया होना प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया है। प्रदर्श 71 डिस्चार्ज टिकट के अनुसार प्रार्थी एसएमएस अस्पताल में दिनांक 21-05-2024 से दिनांक 28-05-2024 तक भर्ती रहा है। प्रार्थी प्रदर्श 78 डिस्चार्ज टिकट के अनुसार दिनांक 24-08-2023 से दिनांक 26-08-2023 तक आयुष्मान हॉस्पिटल में भी भर्ती रहा है। इस प्रकार प्रार्थी 15 दिन आयुष्मान हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल एवं एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती रहा है। प्रार्थी द्वारा स्थाई अयोग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 20 जिसके अनुसार प्रार्थी के शरीर पर 18 प्रतिशत स्थाई अयोग्यता होना दर्शाया गया है, को प्रदर्शित करवाया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 20 स्थाई अयोग्यता प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी के 18 प्रतिशत स्थाई अयोग्यता आना दर्शाया गया है, परन्तु प्रदर्श 20 अंग विशेष का है, सम्पूर्ण शरीर का नहीं है। पत्रावली पर ऐसा तथ्य

प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिसके आधार पर मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रदर्श 20 को गलत माना जावे। प्रदर्श 20 प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के शरीर पर आई चोटें तथा प्रार्थी के स्थाई निःशक्तता कारित हुई है वह पूरे शरीर की न होकर अंग विशेष की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत राजकुमार बनाम अजय कुमार व अन्य 2011 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार प्रार्थी की चोटों एवं समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की उपरोक्त स्थाई निर्योग्यता से कारित होने वाली आय की हानि को 13 प्रतिशत माना जाना उचित होगा।

23. याचिका में प्रार्थी ने दुर्घटना से पूर्व कृषि, दूग्ध उत्पादन व पशुपालन के कार्य से 30,000 रूपये की आय अर्जित करना बताया है। ए.डब्ल्यू. 1 हंसराज ने परीक्षण के दौरान घटना से पूर्व 30,000 रूपये की आमदनी होना कथन किया है। प्रार्थी की ओर से अपनी आय के संबंध में कोई ठोस या निश्चायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। किसी ठोस व निश्चायक साक्ष्य के अभाव में दुर्घटना के समय प्रार्थी की मासिक आय तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर अवधारित किया जाना न्यायसंगत है। राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा दिनांक 01.01.2023 से जो न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार अकुशल श्रमिक की मासिक आय 7,410/-रूपये मासिक निर्धारित की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टातं नेशनल इंश्यारेंस कंपनी बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680 के अनुसार मृतक या मजरूब स्वनियोजित रहा हो, की स्थिति में मजरूब की आयु 40 से 50 वर्ष होने की दशा में आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। अतः उपरोक्त विवेचन को अनुसार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति के देखते हुए मजरूब की उपरोक्त आमदनी में 25 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना न्यायसंगत है। अतः 7,410/-रूपये का 25 प्रतिशत 1852.5/- रूपए पुर्णांक में 1853/-रूपये जोड़े जाने के बाद मजरूब की मासिक आय 9,263/- रूपये मासिक निर्धारित की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सरला वर्मा वाले प्रकरण में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में वर्तमान प्रकरण में 46 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 13 का गुणक प्रयुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

24. इस प्रकार प्रार्थी को उसके कारित हुई स्थाई अयोग्यता के परिणामस्वरूप आय की क्षति के रूप में 9,263X12X13X13% = 1,87,853.64/- रूपये पूर्णांक में 1,87,854/- रूपये दिलवाया जाना उचित व न्यायसंगत है।

25. प्रार्थी ने दुर्घटना के बाद अस्पताल भर्ती रहना बताया है, पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्श 71, 78 व प्रदर्श एन.ए.1 डिस्चार्ज टिकट के अनुसार प्रार्थी क्रमशः दिनांक 21-05-2024 से

28-05-2024, दिनांक 24-08-2023 से 26-08-2023 तथा दिनांक 11-01-2023 से दिनांक 17-01-2023 तक कुल 15 दिन भर्ती रहा है। अस्पताल में भर्ती के दौरान निश्चित रूप से प्रार्थी को एक अटेंडेंट की आवश्यकता अवश्य रही होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के कारित उक्त चोटों के कारण प्रार्थी को स्वास्थ्य लाभ, परिवहन व्यय, दर्द, पीडा, यंत्रणा एवं मानसिक संताप, सुख पूर्वक जीवन में कमी, जीवन की प्रत्याशा की कमी आदि भी अवश्य रही होगी। अतः इन सभी मदों में मिलाकर एकमुश्त रूप से क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थी को 20,000 रूपये ओर दिलाना उचित होगा।

26. प्रार्थी के दुर्घटना में कारित चोटों के संबंध में प्रार्थी की ओर से अपेक्स अस्पताल, आयुष्मान अस्पताल व एसएमएस अस्पताल में भर्ती के दौरान ईलाज के बिल प्रस्तुत किए गए है, जिनकी राशि प्रार्थी को दिलवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी ने प्रदर्श 70 अनन्या अस्पताल का बिल दिनांक 16-01-2026 प्रस्तुत किया है, साथ ही 2026 की दवाईयों के बिल भी प्रस्तुत किए गए हैं, ये बिल किस ईलाज के हैं, इस संबंध में प्रार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, न ही कोई भर्ती एवं ईलाज से संबंधित कागजात प्रदर्शित किए गए हैं। ए.डब्ल्यू. 1 हंसराज ने अपनी जिरह में अपेक्स अस्पताल के बाद किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं होना कथन किया है। चूंकि घटना के 03 साल बाद अनन्या अस्पताल के 2026 के बिल के संबंध में कोई भर्ती एवं डिस्चार्ज टिकट प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा 2026 के मेडीकल बिल दुर्घटना से संबंधित होना, प्रार्थी साबित नहीं कर सका है, ऐसी दशा में 2026 का अनन्या अस्पताल का बिल प्रदर्श 70 एवं 2026 के अन्य बिल प्रदर्श 71 लगायत 99 की राशि दिलवाया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः शेष बिलों की राशि कुल 52,939/- रूपये प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायसंगत है।

27. इस प्रकार प्रार्थी हंसराज उसे प्राप्त होने वाली कुल प्रतिकर राशि 1,87,854+20,000+52,639 = 2,60,493/- रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को उक्त राशि पर क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 15-02-2023 से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी दिलवाया जाना न्यायसंगत है। अतः विवाघक सं. 2 उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से प्रार्थी के हक में निर्णित किया जाता है।

28. **<u>अनुतोषः-</u>**

विवाद्यक संख्या-1 प्रार्थी के पक्ष में, विवाद्यक संख्या 3 अप्रार्थीगण के विरूद्ध एवं विवाद्यक संख्या 2 आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किये गये हैं। अतः प्रार्थी हंसराज अप्रार्थीगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः 2,60,493/- रूपये प्राप्त करने का अधिकारी

हैं तथा उक्त राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 15-02-2023 से तावसूली 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाने योग्य है।

पंचाट

29. प्रार्थी हंसराज द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थिगण के विरूद्ध संयुक्ततः एवं पृथकतः 2,60,493/-रूपये (अक्षरे दो लाख साठ हजार चार सौ तिरानवे रूपये) का अंतिम पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर अप्रार्थीगण याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 15-02-2023 से तावसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अदा करेंगे एवं उक्त राशि 02 माह में अदा करेंगे। शेष क्षतिपूर्ति बाबत् याचिका प्रार्थी की साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है। यदि प्रार्थी को धारा 140 एमवी एक्ट के तहत पूर्व में क्षतिपूर्ति हेतु राशि दिलवायी गई हो, तो उक्त पंचाट में समायोजित की जाएगी।

30. उपर्युक्त वर्णित क्षतिपूर्ति राशि को **निर्णय शुषमा थोमस की गाइड लाइन** के अनुसार निम्न प्रकार से डिस्ट्रब्यूट किया जाता है:-

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	बचत खाते में जमा राशि रुपये में	सावधि जमा राशि रुपये में	सावधि जमा की अवधि
01.	हंसराज	1,60,493/- रुपये व सम्पूर्ण राशि पर देय ब्याज राशि	1,00,000/- रूपये	06 माह

31. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मार्गदर्शी न्यायिक दृष्टांत आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं.लि. बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य एसबी सिविल रिट सं. 6237/2017 दिनांक 03-10-2018 के अनुसरण में यह भी आदेशित किया जाता है किः-

अप्रार्थीगण/भुगतानकर्ता को पंचाट की प्रति जरिये ईमेल- mact-ton-raj@hcraj-nic-in इन प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पंचाट में पारित प्रतिकर राशि को अधिकरण के बैंक खाता संख्या 51032690338 भारतीय स्टेट बैंक, सुभाष बाजार, टोंक आईएफएससी कोड SBIN0031087 में सीधे ही नेफ्ट/आटीजीएस के माध्यम से जमा करेगा।

अप्रार्थीगण पंचाट की पालना के संबंध में पंद्रह दिवस में सूचना निर्धारित प्रपत्र में अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सूचित करेंगे। प्रतिकर राशि जमा होने के पश्चात अधिकरण का बैंक पंचाट के अनुसार याचिकाकर्ता/प्रार्थीगण को उनके बैंक खाते में नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करेंगे।

प्रार्थीगण का बैंक प्रार्थीगण को उक्त सावधि जमाओं के आधार पर अधिकरण के अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं करेगा तथा परिपक्वता पूर्व भुगतान नहीं करेगा।

प्रार्थीगण का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में नहीं जोड़ेंगे।

प्रार्थी के नाबालिग होने की दशा में इस प्रकृति का उसके बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जावे, जिसमें उसके संरक्षक का नाम विनिर्दिष्ट हो।

यदि अप्रार्थीगण/भुगतानकर्ता प्रार्थीगण को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के ब्याज का टीडीएस काटा गया है तो उसका पूर्ण विवरण निर्णय में दिये गये प्रपत्र के अनुसार अधिकरण के समक्ष पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण टीडीएस की कटौती दशा में फार्म नंम्बर 16 भी अधिकरण के समक्ष अधिकरण में प्रस्तुत करते हुए अधिकरण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता को भी सूचित करेंगे।

दावेदार द्वारा प्रकरण में अपने स्वयं के बचत खाते की बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति, पेन कार्ड की प्रति व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत नहीं की है, तो अविलंब अधिकरण में प्रस्तुत करें।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 07/पीआई./2023 दिनांक 25-07-2023 के अनुसार बीमा कंपनी/ अप्रार्थीगण द्वारा दावेदार अधिवक्ता/दावेदार प्रतिकर राशि अधिकरण में जमा करा दिये जाने की सूचना देने के तीस दिन की अवधि में दावेदार की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधिकरण द्वारा प्रतिकर राशि को राष्ट्रीकृत बैंक में सावधि जमा में छह माह या नवीनीकृत अवधि के लिए रखा जा सकेगा।

32. उपर्युक्तानुसार अवार्ड तैयार किया जावे।

(अटल सिंह चॉपावत)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, टोंक

33. निर्णय आज दिनांक 30-07-2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अटल सिंह चॉपावत)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, टोंक